



आयकर आयुक्त का कार्यालय, मैसूर

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME – TAX, MYSORE

पता: 55/1, शिल्पश्री, विद्यारण्य भवन, विश्वेश्वरनगर, मैसूर

(Address 55/1, SHILPASHREE, VIDYARANYA COMPLEX, VISHWESHWARANAGAR, MYSORE- 570098)

दूरवाणि: 0821-2480260 व 2485276 (कचेरी), 0821-2480261 (फक्स), 0821-2840042

(Phone: 0821-2480260 & 2485276 (Office), 0821-2480261 (Fax), 0821-2480042)

फा.स एस-466/12ए ए/आ.आ//मैसूर/10-11

F.No S-466/12AA/CIT/MYS/2010-11

दिनांक/Dt:31.03.2010

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE U/S12 A.A. OF THE I.T. ACT-1961

मैसर्स सोशियल आनिमेशन सेंटर फार रूरल

एजुकेशन और डेवलपमेंट, श्रीकंटप्पा ले औट,

नेल्लिगुड्डा टान्क रोड, बिडदी

M/s. Social Animation Centre for Rural

Education and Development, Srikantappa Layout,

Nelligudda Tank Road, Bidadi

ट्रस्ट ने निर्धारित प्रारूप में दिनांक **11.11.2009** तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन फाईल किया है। ट्रस्ट द्वारा फाईल किए गए आवेदन के सत्यापन के बाद दिनांक **11.11.2009** से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन पंजीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।


The Trust has filed the Registration application u/s12 A.A. of the I.T. Act-1961 in the prescribed form on **11.11.2009**. After verifying application filed by the Trust Registration is granted u/s 12 A.A. of Income Tax Act w.e.f **11.11.2009**

2. इस कार्यालय द्वारा रख-रखाव किए गए रजिस्टर में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन आवेदन की सं. **एस-466/12ए ए/आ.आ//मैसूर/10-11** में प्रविष्टि की गई है।

2. The application has been entered at No. **S-466/12AA/CIT/Mys/10-11** in the Register of application u/s 12 A.A. of the I.T. Act-1961 maintained in this Office.

3. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन मात्र पंजीकरण होना न्यास की आय को छूट नहीं दिलाती। इसके साथ ही आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन र्पर्युक्त पंजीकरण, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन कटौती के लिए न्यास को किसी भी प्रकार का कोई दान के लिए योग्य अथवा धारा 10 के अधीन किसी भी प्रकार की छूट के लिए पात्रता नहीं प्रदान करती है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन लाभ उठाने हेतु संबंधित आयकर आयुक्त के समक्ष अलग से आवेदन लेखा सहित फाईल किया जाना जरुरी है जिसके क्षेत्राधिकार में वह आता है।

3. The Registration u/s 12 A.A. of the Income-Tax Act, 1961 does not automatically exempt the Income of the Trust. Also, the above Registration u/s 12 A.A. of the I.T.



फा. सं एस-466/80जी/आ.आ./मैसूर/2010-11

F.No.S-466/80G/CIT/Mys/2010-11

दिनांक/Date: 31.03.2010

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए.ए. के अधीन प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE U/S12 A.A. OF THE I.T. ACT-1961

मैसर्स सोशियल आनिमेशन सेंटर फार रुरल

एजुकेशन और डेवलपमेंट, बिडदी

**M/s. Social Animation Centre for Rural
Education and Development, Bidadi**

Act-1961 does not confer any exemption u/s 10 or any donations to the Trust eligible for deduction u/s 80 G of the Income Tax Act, 1961. Separate application with accounts have to be filed before the respective Commissioner of Income-Tax who is having jurisdiction to seek benefit u/s 80 G of the Income-Tax, 1961.

4. निर्धारिती अधिकारी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11,12 एवं 13 के संदर्भ में ट्रस्ट की आय के संबंध में पता लगाने की तथा ट्रस्ट की प्रामाणिकता के सत्यापन हेतु स्वतंत्रता दी गई है।

4. The Assessing Officer is at liberty to determine the income of the Trust with reference to Secs. 11,12 & 13 of the I.T. Act-1961, and also verify the genuineness of the Trust.

Sd/-

(पी.के.प्रसाद/P.K.Prasad)

आयकर आयुक्त / Commissioner of Income-tax,
मैसूर Mysore.

सेवा में/To

मैसर्स सोशियल आनिमेशन सेंटर फार रुरल
एजुकेशन और डेवलपमेंट, श्रीकंटप्पा ले आउट,
नेल्लिगुड्डा टांक रोड, बिडदी

**M/s. Social Animation Centre for Rural ✓
Education and Development, Srikantappa Layout,
Nelligudda Tank Road, Bidadi**

प्रतिलिपि/Copy :

1. आयकर अधिकारी, वार्ड-3, मन्ड्या/ ITO, Ward-3, Mandya
2. आयकर अपर आयुक्त, रेंज-2, मैसूर /Addl. Commissioner of Income-tax,
Range-2, Mysore
3. गार्ड फाइल/Guard File



दीपक . आर . एल . डी

(डॉ. आर.एल.दीपक/Dr. Deepak R.L)

आयकर उपायुक्त (मुख्या./Deputy Commissioner of Income-tax (HQ.)

कृते आयकर आयुक्त / For Commissioner of Income-tax,

मैसूर/ Mysore